

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 चैत्र 1936 (शO) पटना, शुक्रवार, 4 अप्रील 2014

(सं0 पटना 356)

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं 3 अप्रील 2014

सं0 टी॰आर॰यू॰ (दीर्घ॰यो॰)-33 / 2014-1861—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-26 की उप-धारा (2) के साथ पिटत बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 22 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अधीन प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निबंधित व्यवसायियों के वित्तीय वर्ष 2012-13 के व्यवसाय के विस्तृत अंकेक्षण हेतु व्यवसायियों के चयन के लिए निम्नांकित मानदण्ड अपनाये गये हैं:-

- (1) वैसे व्यवसायी, जो अधिनियम की धारा—24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012—13 के लिए दाखिल की जाने वाली कोई भी विवरणी विहित समय—सीमा / विस्तारित समय—सीमा के अंतर्गत दाखिल करने में असफल रहे हों।
- (2) वैसे व्यवसायी, जिनपर ''सुविधा'' प्रारम्भ होने के पश्चात् अधिनियम की धारा—61 के आलोक में इलेक्ट्रॉनिक घोषणा प्रपत्र के प्रयोग नहीं करने के कारण या उसके दुरूपयोग करने के कारण एक बार भी अर्थदण्ड का अधिरोपण किया गया हो।
- (3) वैसे व्यवसायी, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में धारा–53 के अधीन विहित Tax Invoice/ Retail Invoice के बिना माल की बिक्री की गयी हो।
- (4) वैसे व्यवसायी, जिनके द्वारा पिछले तीन वर्षों में कभी भी असत्य/गलत/त्रुटिपूर्ण इन्वॉयसों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया हो।
- (5) वैसे व्यवसायी, जिनके संबंध में पिछले तीन वर्षों में कभी भी खरीद–बिक्री के छिपाव का मामला सामने आया हो।
- (6) वैसे व्यवसायी, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012—13 में प्रपत्र E-I/ E-II और प्रपत्र—'सी' के आधार पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा—3(b) एवं 6(2) के आलोक में ट्रांजिट सेल का दावा किया गया हो।
- (7) वैसे व्यवसायी, जिनके द्वारा पिछले तीन वर्षों में दो लाख से अधिक का ट्रेड डिस्काउंट, बोनस, इन्सेंटिभ, रीवेट, टर्नओभर डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट आदि का दावा किया गया हो।
- (8) वैसे व्यवसायी, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012—13 के लिए दाखिल वार्षिक विवरणी में इनपुट टैक्स क्रेडिट कैरीड फॉरवर्ड की राशि रु० एक लाख से अधिक दर्शायी गयी हो।

- (9) वैसे व्यवसायी जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012—13 के लिए धारा—54(2) अथवा धारा—54(3) के साथ पठित नियम—33(5) के अधीन वांछित प्रतिवेदन विहित समय—सीमा के अंतर्गत दाखिल नहीं किया गया हो।
- (10) वैसे व्यवसायी, जिनके द्वारा पिछले तीन वर्षों में कभी भी सीमावर्ती देशों यथा नेपाल/बांग्लादेश/म्यांमार को कर देय वस्तुओं का निर्यात बिक्री की गयी हो और उसका दावा विवरणी में प्रदर्शित किया गया हो।
- (11) वैसे कार्य संवेदक (सरकारी उपक्रम को छोड़कर), जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए दाखिल विवरणी में सकलागम रु० 10 करोड़ से अधिक दर्शाया गया हो।
 - (12) वैसे व्यवसायी, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में कभी भी कर देय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय आयात किया हो।
- (13) वैसे व्यवसायी, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012—13 में प्लाईवुड, हार्डवेयर, सैनीटरी गुड्स एण्ड फीटींग्स, ऑटोपार्ट्स, फुटवेयर, टिम्बर, चश्मा, मार्बल एवं ग्रेनाइट का राज्य के बाहर से आयात कर बिक्री किया गया हो।
- (14) वैसे व्यवसायी, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012—13 में राज्यान्तर्गत स्थित अपने ही विनिर्माण इकाई से विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री की गयी हो, साथ ही वैसे वस्तुओं की अलग से Trading भी की गयी हो।
- (15) वैसे व्यवसायी, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012—13 के लिए रु० 2 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत कर के रूप में भूगतान किया गया हो।
- (16) वैसे व्यवसायी, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2012—13 के लिए रु० 50 लाख से अधिक की कर प्रतिपूर्त्ति प्रदान की गई हो।
- (17) वित्तीय वर्ष 2012—13 के लिए देशी शराब, मशालेदार देशी शराब एवं भारत निर्मित्त विदेशी शराब के सभी थोक व्यवसायी।

निम्नांकित श्रेणी के व्यवसायियों को वित्तीय वर्ष 2012-13 हेत् वैट अंकेक्षण से मुक्त रखा गया है:-

- (1) धारा-15(1), 15(4) एवं 15(1A) के अधीन लघु करदाता योजना एवं समाहितीकरण के अंतर्गत विवरणी दाखिल करने वाले व्यवसायी।
 - (2) पेट्रोल एवं डीजल के खुदरा व्यवसायी यथा, पेट्रोल पम्प।
- (3) धारा-15(5)(b)(ii) के अधीन अधिकतम खुदरा मूल्य के वस्तुओं यथा, दवाई, खाद एवं कीटनाशक इत्यादि से संबंधित खुदरा व्यवसायी।
 - (4) देशी शराब, मशालेदार शराब एवं IMFL के खुदरा व्यवसायी।
- (5) वैसे व्यवसायी, जिन्होंने वर्ष 2011—12 में स्वीकृत कर के मद में एक करोड़ से अधिक का भुगतान किया हो तथा वर्ष 2012—13 में गतवर्ष की तुलना में स्वीकृत कर के भुगतान में 100% की अभिवृद्धि दर्ज की हो।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नरेन्द्र कुमार सिन्हा,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 3rd April 2014

- No. T.R.U. (Dirgh.Yo.)-33/2014-1861—In exercise of the power conferred under sub-section (2) of Section 26 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 read with clause (b) of sub-rule (1) of Rule 22 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, the Commissioner has been pleased to adopt following criteria for selection of dealers registered under the Bihar Value Added Tax Act, 2005, for detailed audit of their business in respect of financial year 2012-13.
- 1. Such dealers who have failed to furnish any of the Returns in respect of financial year 2012-13 within the time specified or within the time extended under section 24 of the Bihar VAT Act, 2005.
- Such dealers upon whom a penalty has ever been imposed for non-issuance or misuse of Electronic Declaration Form (SUVIDHA) as provided under Section 61 of the Bihar VAT Act, 2005 after commencement of SUVIDHA.
- 3. Such dealers who have sold goods without issuing proper Tax Invoice/Retail Invoice as specified under section 53 of the Bihar VAT Act, 2005, in respect of financial year 2012-13.

- 4. Such dealers who have ever put forward a wrong claim of Input Tax Credit on the basis of untrue/false/defective Tax Invoice during the last three years.
- 5. Such dealers who have ever been involved in suppression of sale or purchase of goods during the last three years.
- 6. Such dealers who have put forward a claim of transit sale as provided under Section 3(b)/6(2) of the CST Act, on the basis of Form E-I/E-II and Form 'C' in respect of financial year 2012-13.
- 7. Such dealers who have put forward a claim of trade discount, bonus, incentive, rebate, Turnover discount, special discount etc. in excess of Rupees two lakhs during the last three years.
- 8. Such dealers who have shown Input Tax Credit Carried Forward exceeding Rupees one Lakh in their Annual Return (RT-III) in respect of financial year 2012-13.
- 9. Such dealers who have failed to furnish report as prescribed under Rule 33(5) read with Section 54(2) or 54(3) of the Bihar VAT Act, 2005 within due date in respect of financial year 2012-13.
- 10. Such dealers who have made export sale of taxable goods to neighbouring countries viz., Nepal/Bangladesh /Myanmar and claimed such export sale in their Return.
- 11. Such works-contractors (excluding Government undertakings) who have shown Gross Turnover exceeding ten Crores in their Returns in respect of financial year 2012-13.
- 12. Such dealers who have ever imported taxable goods from the countries beyond the territory of India during the last three years.
- 13. Such dealers who are engaged in selling plywood, timber, hardware, sanitary goods and fittings, auto parts, footwear, spectacles, marble and granite imported from outside the State of Bihar in respect of financial year 2012-13.
- 14. Such dealers who have been engaged in selling goods manufactured by their own manufacturing units established in the state of Bihar and have simultaneously been engaged in trading of such goods in respect of financial year 2012-13.
- 15. Such dealers who have paid admitted tax exceeding 2 Crores in respect of financial year 2012-13.
- 16. Such dealers to whom reimbursement of the amount exceeding Rs. 50 Lakh has been made in respect of financial year 2012-13.
- 17. All wholesale dealers of Country Liquor, Spiced Country Liquor and India Made Foreign Liquor in respect of financial year 2012-13.

The following categories of dealers have been exempted from VAT Audit in respect of financial year 2012-13:-

- (1) All dealers filing return under Section 15(1), 15(4) and Section 15(1A).
- (2) All retail dealers of petrol and Diesel e.g. Petrol Pump.
- (3) All retail dealers of MRP goods viz., Medicine, Fertilizer and Insecticides under section 15(5)(b)(ii).

- (4) All retail dealers of Country Liquor, Spiced Country Liquor and IMFL.
- (5) Dealers who have paid admitted tax exceeding Rupees One Crore in respect of financial year 2011-12 and have registered 100% growth in payment of admitted Tax in respect of financial year 2012-13.

By order of the Governor of Bihar, NARENDRA KUMAR SINHA, Commissioner of Commercial Taxes-Cum- Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 356-571+500-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in